

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति० कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर
एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 06/2020

श्याम सुन्दर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. कालूराम जाट पुत्र श्री चुन्नीलाल जाट, (विक्रेता), मैसर्स :- रामेश्वर जाट, सोडिक्या की ढाणी, ग्राम अन्नतपुरा, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर।
2. रामेश्वर जाट (मालिक), मैसर्स :- रामेश्वर जाट, सोडिक्या की ढाणी, ग्राम अन्नतपुरा, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर।

अभियुक्तगण,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51
एफएसएस एक्ट, 2006 नियम, 2011)

उपस्थिति:-

1. परोकार सरकार उपस्थित ।
2. श्री मंयक गुप्ता, अभिभाषक, अभियुक्तगण की ओर से।


निर्णय

दिनांक : 29.10.2021

यह परिवाद श्याम सुन्दर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 11.12.2019 को मैसर्स रामेश्वर जाट, सोडिक्या की ढाणी, ग्राम अन्नतपुरा, तहसील चौमू, जिला-जयपुर का अभियुक्त कालूराम जाट पुत्र श्री चुन्नीलाल जाट की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण मौके पर 30 किलोग्राम मावा चार एल्यूमिनियम की थाल में आम जनता को विक्रय करने के लिए तैयार कर रखा हुआ था। इसमें गुणवत्ता का शक होने पर इसमें से 1 किलोग्राम मावा वास्ते नमूना जांच संख्या अभिहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के कोड एवं क्रमांक ई-4231 के लिये क्रय किया गया। क्रय किये गये 1 किलोग्राम मावा की कीमत अंके रूपये 220/- (अक्षरे रूपये दो सौ बीस मात्र) मौके पर उपस्थित कालूराम जाट से केश मीमो/रसीद प्राप्त की। जिस पर बतौर सबूत विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर हैं। जांच हेतु क्रय किये गये 1 किलोग्राम मावे की जांच कराये जाने पर अमानक खाद्य पदार्थ होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा विक्रय हेतु रखे गये मावे को अमानक खाद्य पदार्थ पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। अतः धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।


उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अभियुक्तगण अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल मिसल कराया गया।

उभयपक्षों को सुना गया। परोकार सरकार ने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक, (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए/2019



/832 दिनांक 29.09.2019 तथा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कार्यक्षेत्र अधिसूचना दिनांक 10.02.2012 के अनुसार उन्हें कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम क्षेत्र आवंटित किया गया है। जिसके अन्तर्गत आने वाला समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में आता है। तहसील चौमू भी उनके कार्यक्षेत्र में होने के कारण उनके द्वारा उक्त विक्रेता के यहां नमूना लिया गया है। आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की प्रदत्त शक्तियों एवं आवंटित क्षेत्र के तहत खाद्य पदार्थ विक्रय स्थल का निरीक्षण किये जाने की शक्तियां निहित होने के फलस्वरूप कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने के अनुसरण में दिनांक 11.12.2019 को अभियुक्तगण द्वारा विक्रय हेतु रखे गये मावे का निरीक्षण किया गया। मौके पर मिले खाद्य कारोबारकर्ता कालूराम जाट के पास उपलब्ध मावे का भौतिक रूप से निरीक्षण करने पर विक्रेता के पास चार एल्यूमिनियम की थालों में लगभग 30 किलो मावा आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ होना पाया गया। इसमें गुणवत्ता की कमी का शक होने पर नमूना जांच हेतु 1 किलोग्राम मावा की कीमत अंके रूपये 220/- (अक्षरे रूपये दो सौ बीस मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता श्री कालूराम जाट को देकर क्रय किया गया और क्रय किये गये 1 किलोग्राम मावा की कीमत अंके रूपये 220/- (अक्षरे रूपये दो सौ बीस मात्र) का केश मीमो-रसीद खाद्य कारोबारकर्ता कालूराम जाट से गवाहान के सामने प्राप्त कर मौके पर नमूना जांच नम्बर ई-4125 दर्ज किया गया और मौके पर प्ररूप 5ए तैयार कर एक प्रति अभियुक्त को दी गई जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर स्वयं अभियुक्त कालूराम जाट के अंकित है। इस प्राप्ति रसीद पर खाद्य कारोबारकर्ता कालूराम जाट के साथ ही 2 गवाहान के हस्ताक्षर है। पूरी कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट मौके पर उपस्थित गवाहान के समक्ष तैयार की गई है, जिसे मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर के लिये कहा गया है मौके पर ही अभियुक्त एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये है। आवेदक ने नियमानुसार मौके पर लिये गये नमूनों का फार्म नम्बर 6 तैयार कर संबंधितों को जमा करवाया है। खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक एल.एस./3088/एक्ट/2019/2646 दिनांक 24.12.2019 प्ररूप बी में नमूना कोड नम्बर और सीरियल नम्बर ई-4231 को सब-स्टैण्डर्ड होना पाया है। अतः यह स्पष्ट सिद्ध है कि अभियुक्त कालूराम जाट, (विक्रेता) मैसर्स रामेश्वर जाट, सोडिक्या की ढाणी, ग्राम अन्नतपुरा, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर द्वारा सब-स्टैण्डर्ड मावे का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अभियुक्त को अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए खाद्य आयुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कथन किया कि खाद्य आयुक्त नियमानुसार प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किये गये है। खाद्य आयुक्त द्वारा प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों के स्थान पर प्रयोगशाला तकनीशियन, मैसर्स ग्रेड II, नेत्र सहायक, एमपीडब्ल्यू, एलडीसी आदि को खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो नमूना लेने के लिए निर्धारित योग्यता एवं प्ररक्षण धारक नहीं है। खाद्य विश्लेषक द्वारा जो फार्म बी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये नमूनें में मावें का मानक प्रतिशत 30 के स्थान पर 25.20 होना पाया गया है, जो कि कोई बड़ा अन्तर नहीं है, मामूली सा अन्तर है। वर्तमान की जलवायु और मौसम के अनुसार मानकता में थोड़ा बहुत अन्तर होना स्वाभाविक है। एकदम मानक प्रतिशत प्राप्त होना आमतौर पर संभव नहीं है। विक्रेता कालूराम जाट द्वारा कोई मिलावट नहीं की गई है ना ही उनके द्वारा विक्रय हेतु रखे गये मावें की गुणावत्ता में कोई कमी थी। वर्तमान जलवायु एवं मौसम के आधार पर मामूली सा मानक आधार में कमी रही है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जावे।



हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II)/51 एफएसएस एवं नियम 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं:-


1. आवेदक स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/एफएसएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 की प्रति।
2. चौमू क्षेत्र आवेदक को आवंटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एफएसएसए/2019/832 दिनांक 29.09.2019 तथा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कार्यक्षेत्र अधिसूचना दिनांक 10.02.2012 की प्रति।
3. आवेदक द्वारा दिनांक 11.12.2019 को नमूने के लिए क्रय किये 1 किलोग्राम मावा के समर्थन में खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा दिनांक 11.12.2019 को दिये गये केश-मीमो की प्रति जिस पर स्वयं खाद्य कारोबारकर्ता कालूराम जाट के हस्ताक्षर हैं।
4. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्त हस्ताक्षर खाद्य कारोबारकर्ता कालूराम जाट के हैं।
6. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता कालूराम जाट के हस्ताक्षर हैं।
7. खाद्य विश्लेषक से नमूना जांच रिपोर्ट की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना सब-स्टैण्डर्ड होना अंकित है।

अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि नमूना लिये गये व्यक्ति द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्धारित योग्यता एवं प्ररिक्षण प्राप्त व्यक्ति नहीं था। हमारे विचार से नमूना लेने के पश्चात् नमूना जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रयोगशाला में नमूने की जांच हेतु भिजवाया जाता है। प्रयोगशाला में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा नमूनों की जांच की जाती है। जिसके आधार पर खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्ररूप बी अभियुक्त को अभिहित अधिकारी द्वारा भेजी गई है। अभियुक्त ने नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार इस खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित अवधि में चुनौती भी नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में विलम्ब के संबंध में इस स्तर पर विचार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्ररूप-बी दिनांक 24.12.2019 पर संदेह किये जाने का कोई आधार नहीं है।

अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते हैं कि अभियुक्तगण द्वारा सब-स्टैण्डर्ड मावा विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्त द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये हम अभियुक्त के कृत्य के लिये राशि रूपये 10,000 (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते हैं और यह आदेश देते हैं कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.10.2021 को सुनाया गया।




(डॉ. अशोक कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी,
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
(चतुर्थ), जयपुर